



हरियाणा विधान सभा

चौदहवीं विधान सभा

बजट सत्र 2023

कार्य सूची

22 फरवरी, 2023

11:00:00

1. प्रश्न

(1) पृथक सूची में दर्ज प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उत्तर दिए जाएंगे।

2. ध्यानाकर्षण सूचना

(1)

अल्पावधि चर्चा संख्या 1 को ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-50 में परिवर्तित कर दिया गया है।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-42

(i) श्री वरुण चौधरी, एम.एल.ए.;(ii) श्री भारत भूषण बतरा, एम.एल.ए.; तथा (iii) श्रीआफताब अहमद, एम.एल.ए. द्वारा दी गई राज्य में स्टिल्ट प्लस चार मंजिला घरों के निर्माण के विरुद्ध विरोध से संबंधित सूचना।

(श्री नीरज शर्मा, एम.एल.ए.) द्वारा समान विषय पर दी गई सूचना को ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 50 के साथ क्लब कर दिया गया है। माननीय सदस्य ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 50 पर चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं।

3. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भण तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान।

(1)

21 फरवरी, 2023 को श्री असीम गोयल नन्यौला, एम.एल.ए. द्वारा प्रस्तुत किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भण, अर्थात् :-

“कि राज्यपाल महोदय को एक समावेदन निम्नलिखित शब्दों में पेश किया जाए:-“कि इस सत्र में इकट्ठे हुए हरियाणा विधान सभा के सदस्य उस अभिभाषण के लिए राज्यपाल महोदय के अत्यन्त कृतज्ञ हैं जो उन्होंने 20 फरवरी, 2023 को 11.00 बजे प्रातः सदन में देने की कृपा की है।”

4. 2022-2023 के लिए अनुपूरक अनुमान (तीसरी किस्त) तथा उन पर प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना

(1)

- (i) वित्त मंत्री 2022-2023 के लिए अनुपूरक अनुमान (तीसरी किस्त) प्रस्तुत करेंगे।
(ii) चेयरपर्सन, प्राक्कलन समिति 2022-2023 के लिए अनुपूरक अनुमान (तीसरी किस्त) पर प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

5. 2022-2023 के अनुपूरक अनुमान (तीसरी किस्त)

(1)

1. राज्य के राजस्व पर प्रभारित व्यय के अनुमानों पर चर्चा।
2. अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान।

मांग संख्या 07 प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए 171,73,21,000/- रुपये से अनुपूरक अनुमान एक अधिक न हो, मांग संख्या 7-राज्य सरकार द्वारा कर्जे तथा पेंशियां के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को 2022-2023(तीसरी किस्त) पृष्ठ संख्या 07 मंत्री समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को किस्त) पृष्ठ संख्या अनुदान की जाए। 4-6

(2)

मांग संख्या 12 प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 2,00,000/- रुपये से अधिक न हो, अनुपूरक अनुमान 2022-2023(तीसरी किस्त) पृष्ठ संख्या 12 एक मांग संख्या 12-शिक्षा (उच्चतर/माध्यमिक/प्राथमिक)/तकनीकी शिक्षा/महिला एवं बाल विकास मंत्री के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए। 10-12

(3)

मांग संख्या 19 प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 546,62,34,000 रुपये से अधिक न हो, अनुपूरक अनुमान 2022-2023(तीसरी किस्त) पृष्ठ संख्या 19 एक मांग संख्या 19-सिंचाई/उद्योग और वाणिज्य/एम.एस.एम.ई./पूर्ति तथा निपटान/विद्युत और नवीनीकरण ऊर्जा/विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए। सख्या 13-15

6. नियम 121के अधीन प्रस्ताव

(1)

प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231, 233, 235 तथा 266 के उपबंध जहां तक कि वे :-

एक मंत्री

1. लोक लेखा समिति ;
2. प्राक्कलन समिति;
3. लोक उपक्रमों संबंधी समिति ; तथा
4. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए समिति के गठन से संबंधित हैं, को वर्ष 2023-2024 के लिए निलंबित किया जाए।

यह भी
प्रस्ताव
करेंगे:-

“कि यह सदन, अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा को प्राधिकृत करता है कि वह सदन में विभिन्न दलों/ग्रुपों की अनुपातिक संख्या को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2023-2024 के लिए पूर्वोक्त समितियों के सदस्यों को नामजद करें”।

7. रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

(1)

प्रवर समिति के चेयरपर्सन (उपाध्यक्ष) हरियाणा पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2022 पर प्रवर समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

(ज्ञान चन्द गुप्ता) अध्यक्ष
दिनांक: २२ फरवरी २०२३

(राजेन्द्र कुमार नांदल) सचिव
